1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित 3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल।

जमाबंदी सुधार वाद सं0– 06/2023–24

निमाई घोष
–बनाम–
16 आना रैयत, मौजा– पतौड़ा

आदेश

10-06-24

प्रस्तुत वाद आवेदक निमाई घोष, पिता– स्व० भादू घोष, साकिन– बोतलू टोला, उत्तरी सरफराजगंज, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के द्वारा जमाबंदी सुधार कर पंजी–II में दर्ज करने हेतु निम्नलिखित भूमि का आवेदन प्राप्त हुआ।

भूमि का विवरण

अंचल	हल्का नं०	मौजा	थाना नं०	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
उधवा	03	पतौड़ा	171	128	1759	02–09–00 धूर में से अंश 00–02–10 धूर

आवेदक द्वारा अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन किया है कि उक्त जमीन उनके पिता– स्व० भादू घोष के नाम से खतियान में दर्ज है। जमीन मेरे निज अंश का है। उक्त जमीन का आंशिक रकवा रजिस्टर–II में चढ़ाना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में जमाबंदी नं०–545 का खतियान की ऑनलाईन प्रति, बंगला खतियान की छायाप्रति तथा उसका हिन्दी अनुवाद की छाया प्रति एवं साथ में वंशावली भी संलग्न किया है।

अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक– 99/रा०, दिनांक– 20.02.2024 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें राजस्व उपनिरीक्षक, उधवा एवं प्र० अंचल निरीक्षक, उधवा का जांच प्रतिवदन संलग्न है, जिसके अनुसार प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–पतौड़ा, थाना नं०–171, ज०सं०–128, दाग सं०–1759 के राजस्व पंजी–II के अवलोकन से पाया कि राजस्व पंजी–II जीर्ण–शीर्ण (फटा) हुआ है। पुनः सर्वे खतियान के अवलोकन से पाया कि मौजा–पतौड़ा, थाना सं०–171, ज०सं०–128, दाग सं०–1759, रकवा–02–09–00 धूर भूमि रैयत 1. चुरनी ग्वालीन पति– स्व० अमीर चाँद गोप, 2. सम्भू गोप 3. दुलू गोप 4. नवीन गोप पिता– किशून गोप के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त दाग सं०–1759,

Scanned with OKEN Scanner

रकवा–02–09–00 धूर में से रकवा–00–02–10 धूर भूमि खतियानी रैयत नवीन गोप पिता– किसून गोप के वारीशान नीमाई घोष पिता– स्व० भादू गोप सा० फुदकीपुर के आवेदन पर उक्त भूमि अंचल अमीन के द्वारा मापी कराकर ट्रेस नक्सा प्रतिवेदन संलग्न किया है व 16 आना रैयत व खतियानी रैयत के जीवित वारीशानों व आवेदक नीमाई घोष पिता– भादू घोष को नोटिस निर्गत करने के पश्चात् उक्त खतियानी रैयत के नाम से राजस्व पंजी–II में दर्ज किया जा सकता है।

सुनवाई के क्रम में 16 आना रैयतों के नाम नोटिस निर्गत किया गया, तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। परन्तु किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गयी।

आवेदक के आवेदन, खतियान की प्रति एवं अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। दाखिल कागजात के जांचोपरांत खतियान के अनुसार अंचल–उधवा, हल्का नं०–03, मौजा–पतौड़ा, थाना सं०–171, ज०सं०–128, दाग सं०–1759, रकवा–02–09–00 धूर में से अंश रकवा–00–02–10 धूर भूमि किस्म– धानी दोयम, खतियानी दखलकार रैयत चुरनी देवी पति– स्व०अमीर चन्द गोप व दुलु गोप व शम्भु गोप व नवीन गोप पिता– मृत फेकन गोप जाति गोवाला सा० फुदकीपुर दर्ज है, के जीवित वारिशानों के नाम से राजस्व पंजी–II में इन्द्राज करने की अनुमति दी जाती है।

अंचल अधिकारी, उधवा को निदेश दिया जाता है कि आवेदकों के द्वारा दाखिल कागजात के आधार पर जांचोपरांत पंजी–II में जमाबंदी सुधार हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

Digitally signed by Bimal Soren
Date: 2024.08.24 12:57:43 +05:30
Location: 10.93.59.195

Scanned with OKEN Scanner